# न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

## :: आदेश ::

कमांक:– 13/अ–59/2017–18/ 11666 बैतूल दिनांक 30/10/2017

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, पटवारी हल्का नंबर 40 रा. नि. मं. शाहपुर तहसील शाहपुर जिला बैतूल द्वारा तहसीलदार शाहपुर के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, ग्राम भयावाड़ी स्थित खसरा नंबर 346 रकबा 0.182 हेक्टेयर मद रास्ता में 20X30 फुट भूमि पर दसरा पिता श्यामजी कोरकू का, 20X30 फुट भूमि पर सुमन बेवा सुरेश कोरकू का, तथा 20X20 फुट भूमि पर शेजराम पिता मन्नू बसोड़ का मकान बना है। खसर नंबर 176 रकबा 0.081 हेक्टेयर मद चरनोई (छोटे झाड़ का जंगल) में मुकेश पिता मिट्ठू, रमेश पिता मिट्ठू, महेश पिता मिट्ठू व मिश्री पिता रामदयाल का मकान बना है। अतएव शासन के निर्देशानुसार उक्त खसरा नंबर पर निवासरत व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने के लिए मौजा भयावाड़ी तहसील शाहपुर स्थित खसरा नंबर 346 रकबा 0.182 हेक्टेयर मद रास्ता में से 0.040 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 176 रकबा 0.081 हेक्टेयर मद चरनोई को आबादी घोषित करने की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है।

2– हल्का पटवारी के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार शाहपुर द्वारा मद परिवर्तन के लिए विधिवत् प्रकरण दर्ज करके आगामी कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:–

(1)– मौजा भयावाड़ी स्थित उपरोक्तानुसार खसरा नंबर की भूमियो की नोईयत परिवर्तन कर आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)– दिनांक 17–6–2017 को आयोजित ग्राम पंचायत भयावाड़ी की बैठक में, मौजा भयावाड़ी स्थित खसरा नंबर 176 रकबा 0.081 हेक्टेयर को एवं खसरा नंबर 346 रकबा 0.182 हेक्टेयर में से 0.040 हेक्टेयर, भूमि को आबादी घोषित करने के लिए पृथक पृथक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए है।

(3)– वर्तमान राजस्व अभिलेख खसरा वर्ष 2016–17 के अनुसार मौजा भयावाड़ी तहसील शाहपुर स्थित खसरा नंबर 176 रकबा 0.081 हेक्टेयर, भूमि चरनोई मद में दर्ज है, तथा खसरा नंबर 346 रकबा 0.182 हेक्टेयर रास्ता मद में दर्ज है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1968–69 के अनुसार खसरा नंबर 176 रकबा 0.081 हेक्टेयर छोटे झाड़ का जंगल (घॉस) मद में तथा, खसरा नंबर 346 रकबा 0.182 हेक्टेयर रास्ता मद में दर्ज है।

(4)– ग्राम भयावाड़ी का मकबूजा रकबा 418.740 हेक्टेयर है, तथा ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा 1.643 हेक्टैयर है। ग्राम के मकबूजा रकबा के 2 प्रतिशत के मान से चरनोई का रक्षित रकबा 6.966 हेक्टेयर उपलब्ध रहना अनिवार्य है। किन्तु वर्तमान में ग्राम में चरनोई का उपलब्ध रकबा न्यूनतम रक्षित रकबे से कम है।

(5)– तहसीलदार शाहपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, मौजा भयावाड़ी स्थित खसरा नंबर 346 रकबा0.182 हेक्टेयर रास्ता मद में दर्ज है, परन्तु वर्तमान में रास्ते के रूप में उपयोग नहीं हो नही हो रहा है। रास्ते के अतिरिक्त रकबे पर मकान बनाकर लोग निवासरत् है, तथा मौके पर पर्याप्त रास्ता उपलब्ध है, आवागमन चालू है।

(6)– ग्राम भयावाड़ी स्थित खसरा नंबर 176 रकबा 0.081 हेक्टेयर भूमि अधिकार अभिलेख में छोटे झाड़ का जंगल (घॉस) मद में दर्ज होने के कारण उक्त खसरा नंबर का मद परिवर्तन किए जाने में वैद्यानिक कठिनाई है साथ ही ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा, न्यूनतम रक्षित रकबे से कम होने के कारण उक्त खसरा नंबर का मद परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है।

(7)– तहसीलदार शाहपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर द्वारा मौजा भयावाड़ी स्थित खसरा नंबर 346 रकबा 0.182 हेक्टेयर मद रास्ता में से 0.040 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

3– मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–237 (1) के अनुसार कलेक्टर दखलरहित भूमि को निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए पृथक रख सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक– कमांक 1/2011/अधी./10842, दिनांक 8–11–2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांकः– 2489 दिनांक 25–2–2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4– अतएव उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति एवं तहसीलदार शाहपुर/अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा भयावाड़ी तहसील शाहपुर स्थित खसरा नंबर 346 रकबा 0.182 हेक्टेयर में से 0.040 हेक्टेयर भूमि (जिसे नक्शे में लाल स्याही से चिन्हित किया गया है) को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास स्वीकृत किया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला–बैतूल.

पृ0क्र0:–13/अ–59/2017–178/ 11666 बैतूल दिनांक 30/10/2017

प्रतिलिपिः–

1– अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर।

2– तहसीलदार शाहपुर ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।

3– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

4– जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

5– सचिव ग्राम पंचायत भयावड़ी जनपद पंचायत शाहपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला–बैतूल.

31/10/18